पत्रांक–8ए0 / भू0अ0नि0 विविध–86 / 18.....313/A-रा0

झारखण्ड सरकार,

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

प्रेषक,

रमाशंकर
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

सभी उपायुक्त,
झारखण्ड।

राँची, दिनांक– 12-06-18

विषयः– झारखण्ड भूमिगत जल / गैस / ड्रेनेज पाईपलाईन (भूमि की उपयोगकर्ता के अधिकारों का अर्जन) नियमावली, 2018 के तहत सक्षम प्राधिकार नियुक्त करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक झारखण्ड जल, गैस और ड्रेनेज पाईपलाईन (भूमि में उपयोगकर्ता के अधिकारों का अर्जन) अध्यादेश, 2018 एवं झारखण्ड भूमिगत जल / गैस / ड्रेनेज पाईपलाईन (भूमि की उपयोगकर्ता के अधिकारों का अर्जन) नियमावली, 2018 की प्रति संलग्न करते हुए कहना है कि उक्त नियमावली की कंडिका–3 के आलोक में भू–अर्जन की कार्यवाही हेतु कार्य करने के निमित्त सभी जिला के जिला भू–अर्जन पदाधिकारी एवं RFCTLARR Act, 2013 की धारा–3 (g) के तहत् समाहर्त्ता की शक्तियाँ प्रदत्त पदाधिकारियों को भू–अर्जन की कार्रवाई हेतु सक्षम प्राधिकार (Competent Authority of Land Acquisition) नामित किया जाता है।

विश्वासभाजन
12.6.18
(रमाशंकर)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांकः– 313/G राँची, दिनांक– 12-06-18

प्रतिलिपिः–मुख्य सचिव / सभी अपर मुख्य सचिव / सभी प्रधान सचिव / सभी सचिव / मुख्य मंत्री के सचिव / सभी विभागाध्यक्ष, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12.6.18
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांकः– 313/G राँची, दिनांक– 12-06-18

प्रतिलिपिः–सभी प्रमण्डलीय आयुक्त / सभी अपर समाहर्त्ता / सभी जिला भू–अर्जन पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

12.6.18
सरकार के उप सचिव।

सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

29 चैत्र, 1940 (श०)

संख्या- 436 राँची, गुरुवार, 19 अप्रैल, 2018 (ई०)

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

19 अप्रैल, 2018

संख्या-एल०जी०-07/2018-36/लेज०-- झारखंड सरकार का निम्नलिखित अध्यादेश जिस पर राज्यपाल दिनांक 13 अप्रैल, 2018 को अनुमति दे चुकीं है, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है ।

झारखण्ड जल, गैस और ड्रेनेज पाइप लाइन
(भूमि में उपयोगकर्ता के अधिकारों का अर्जन) अध्यादेश, 2018

(झारखण्ड अध्यादेश संख्या - 04, 2018)

चूंकि, झारखण्ड राज्य विधान सभा सत्र में नहीं है, और चूंकि झारखण्ड राज्य के राज्यपाल को समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान हैं, जिसके कारण **झारखण्ड जल, गैस और ड्रेनेज पाइप लाइन (भूमि में उपयोगकर्ता के अधिकारों का अर्जन) अध्यादेश, 2018** का प्रख्यापन किया जाना आवश्यक हो गया है ।

इसलिए, अब भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खंड (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत झारखण्ड राज्यपाल निम्नवत अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ ।

(1) यह अध्यादेश झारखण्ड जल, गैस ओर ड्रेनेज पाइप लाइन (भूमि में उपयोगकर्ता के अधिकारो का अर्जन) अध्यादेश, 2018 कहा जाएगा ।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।

(3) यह उस तिथि को प्रवृत होगा जिसे राज्य सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करें ।

2. इस अध्यादेश में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -

(क) "सक्षम प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अध्यादेश के अधीन प्राधिकारी के कृत्यों का निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत कोई व्यक्ति या प्राधिकारी,

(ख) "निगम" से अभिप्रेत है, राज्य अध्यादेश के तहत निगमित निकाय एवं इसमें समाहित हैं :-

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 के अधीन बनाई गई और रजिरट्रीकृत कोई कंपनी,

(ii) भारत के किसी खंड में पूर्व में प्रचलित कंपनी से संबंधित किसी विधि के तहत स्थापित एवं पंजीकृत कंपनी,

(ग) "कलेक्टर" से अभिप्रेत है, जिले का उपायुक्त या कोई डिपुटी कलेक्टर, जिसे इस अध्यादेश के अधीन कलेक्टर के किसी कार्य के लिए राज्य सरकार द्वारा शक्ति प्रदत्त है.

(घ) "विहित" से अभिप्रेत हैं, इस अध्यादेश के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित,

3. (1) राज्य सरकार को, जब कभी यह प्रतीत हो कि जल, गैस, ड्रेनेज का वहन का एक स्थान से किसी दूसरे स्थान तक पारेषण करने तथा उससे संबंधित संकर्मो के लिए, जनहित में यह आवश्यक है तो राज्य सरकार अथवा निगम द्वारा पाइप लाइन बिछाई जाय और यह कि पाइप लाइन बिछाए जाने के प्रयोजन के लिए किसी ऐसी भूमि में, जिसमें कि ऐसी पाइप लाइन बिछाई जा सकती हों, भूमि के उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाना आवश्यक है तो वह राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा कर सकेगी.

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक अधिसूचना में भूमि का संक्षिप्त विवरण होगा.

(3) सक्षम प्राधिकारी अधिसूचना के सारांश को उस स्थान पर एवं उस रीति से प्रकाशित करवायेगा जैसा कि विहित किया जाय ।

4. (1) भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, धारा 3 के उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना की तारीख के तीस दिन के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन, बिछाए जाने पर आपत्ति कर सकेगा ।

(2) प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी को लिखित में प्रस्तुत की जाएगी तथा उसमें उसके आधार उपवर्णित होंगे तथा सक्षम प्राधिकारी आपत्तिकर्ता को या तो स्वयं या किसी विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर देगा तथा ऐसी सभी आपत्तियों को सुनने के पश्चात् तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात् यदि कोई हो, जैसी कि ऐसा प्राधिकारी आवश्यक समझें, आदेश द्वारा आपत्ति को या तो मंजूर कर सकेगा या उसे नामंजूर कर सकेगा ।

(3) सक्षम प्राधिकारी द्वारा उपधारा (2) के अधीन किया गया कोई आदेश अंतिम होगा ।

5. (1) जहां कि सक्षम प्राधिकारी को धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन उसमें विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर अपत्तियां प्रस्तुत नहीं की जाती है या जहां कि सक्षम प्राधिकारी ने उपधारा (2) के अधीन आपत्तियों को नामंजूर कर दिया है, वहां सक्षम प्राधिकारी, राजपत्र मे, अधिसूचना द्वारा, घोषित करेगा कि पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार अजित कर लिया जाएगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन घोषणा के प्रकाशित हो जाने पर, उसमें विनिर्दिष्ट भूमि में, सभी विल्लंगमों से रहित उपयोग के अधिकार पूर्ण रूप से राज्य सरकार में निहित हो जाऐंगे ।

(3) जहां कि किसी भी भूमि के संबंध में धारा – 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना निर्गत की जा चुकी है, परन्तु इस धारा के अधीन कोई उद्घोषणा अधिसूचना के एक वर्ष के भीतर नहीं प्रकाशित हुई है, तब वह अधिसूचना इस अवधि के बीत जाने के पश्चात अप्रभावी मानी जाएगी ।

(4) उपधारा (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, ऐसे नियमों तथा शर्तों पर, जैसे कि वह उचित समझें, लिखित में आदेश द्वारा, निदेश दे सकेगी कि पाइप लाइन, बिछाने के लिए समस्त विल्लंगमों से रहित भूमि में उपयोग के अधिकार, घोषणा के प्रकाशन की अवधि अथवा आदेश में अंतर्विष्ट अन्य अवधि से राज्य सरकार में निहित होने के बजाय, इस प्रकार अधिरोपित नियमों तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए पाइप लाइन बिछाने का प्रस्ताव करने वाले, सभी ऋणभार से मुक्त होकर निगम में निहित हो जाएंगे ।

(6) (i) जहां कि धारा 5 के अधीन किसी भूमि में उपयोग का अधिकार राज्य सरकार या जैसा कि मामला हो निगम में निहित हो गया हो तो राज्य सरकार या जैसा कि मामला हो निगम द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति या इसके सेवकों और कर्मकारों के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह –

(क) अधिसूचना ने विनिर्दिष्ट किसी भूमि पर प्रवेश करे तथा सर्वेक्षण करे और उसका तल-मापन करें;

(ख) अवमृदा में खुदाई या बोर करें;

(ग) संकर्म का आशयित रेखांकन करें;

(घ) ऐसे तलों, सीमाओं तथा रेखाओं को चिन्ह लगाकर एवम् खाईयां काटकर चिन्हांकित करें;

(ड़) जहां कि किसी अन्य प्रकार से सर्वेक्षण पूरा नहीं किया जा सकता हो तथा तल-मापन किया जा चुका हो और सीमाएं तथा रेखाएं चिन्हित की जा चुकी हों, खड़ी फसल के किसी भाग को या किसी अन्य फसल को या बाड़ को काटे और रास्ता तैयार करें, और

(च) यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सभी कृत्य करे कि क्या भूमि के नीचे पाइप लाइन बिछाई जा सकती है

परन्तु इस धारा के अधीन किसी शक्ति का प्रयोग करते समय, ऐसा व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति का भी सेवक ऐसी भूमि को जहाँ तक संभव हो कम से कम नुकसान या क्षति पहुँचाएगा।

परन्तु यह और कि कोई पाईप लाइन, नहीं बिछाई जायेगी यदि:

(क) ऐसी कोई भूमि जो धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना की तारीख से ठीक पूर्व आवासीय प्रयोजनार्थ व्यवहृत होती हो, या

(ख) ऐसी भूमि जिसपर कोई रथायी संरचना अधिसूचना की तारीख से पहले से हो,
(ग) कोई भूमि जो आवासीय भवन से संबद्ध हो, या
(घ) कोई भूमि जहां सतह से एक मीटर से कम की गहराई हो, एवं

(ii) ऐसी भूमि का उपयोग केवल भूमिगत पाईप लाईन बिछाने तथा ऐसी भूमिगत पाईप लाईन के संधारण, परीक्षण, मरम्मत, परिवर्त्तन या उन्हें हटाने के लिए या किसी अन्य कृत्य के साथ-साथ उपरोक्त प्रयोजनों में से किसी प्रयोजन के लिए आवश्यक कोई अन्य कार्य करने के लिए या ऐसी भूमिगत पाईप लाईन के उपयोग के लिए किया जाएगा ।

(2) यदि उपधारा (1) के खण्ड (i) के द्वितीय परन्तुक के उपखड (ख) या (ग) में निर्दिष्ट किसी विषय के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो विवाद सक्षम प्राधिकारी को निर्दिष्ट किया जाएगा जिसका विनिश्चय उस पर अंतिम होगा ।

7. किसी भूमिगत पाइप लाइने बिछाने, उनका संधारण, परीक्षण, मरम्मत, परिवर्तन या हटाने के लिए अथवा उपरोक्त प्रयोजनों में से किसी के लिए माप करने या कोई निरीक्षण करने के लिए उपयोग का अधिकार अर्जित करने के पश्चात् राज्य सरकार या निगम द्वारा इस निमित प्राधिकृत कोई व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी और भूमि के अधिभोगी का युक्तियुक्त सूचना देने के पश्चात्, उतने कामगारों और सहयोगियों के साथ जितने कि आवश्यक हो, उसमें प्रवेश कर सकेगा ।

परन्तु जहां वह व्यक्ति संतुष्ट है कि कोई आपात स्थिति विद्यमान है, वहा ऐसी सूचना आवश्यक नहीं होगी ।

परंतु यह और कि इस धारा के अधीन किसी शक्ति का प्रयोग करते समय, ऐसा व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति का कोई कामगार या सहायक ऐसी भूमि को जहां तक संभव हो अल्प नुकसान या क्षति पहुँचायेगा ।

8. (1) किसी ऐसी भूमि का स्वामी या अधिभोगी जिसके संबंध में धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन घोषणा की गई है, भूमि का ऐसे प्रयोजनों के लिए उपयोग करने के लिए हकदार होगा जिनके कि लिए धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसचूना की तारीख की ठीक पूर्व उसका उपयोग किया जाता था :

परन्तु ऐसा स्वामी या अधिभोगी धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन घोषणा के पश्चात् उस भूमि पर, -

(i) किसी भवन या किसी अन्य संरचना का निर्माण नहीं करेगा;

(ii) किसी तालाब, कुंआ, जलाशय या बांध का निर्माण या उत्खनन नहीं करेगा; या

(iii) किसी वृक्ष का रोपण नहीं करेगा ।

(2) भूमि का स्वामी या अधिभोगी ऐसा कोई कार्य नहीं करेगा या ऐसा कार्य करने की अनुमति देगा जो भूमिगत पाईप लाईन को किसी भी रीति में कोई नुकसान कारित करता हो या कारित कर सकता हो ।

(3) जहां की भूमि का स्वामी या अधिभोगी, जिसके संदर्भ में धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन घोषणा की गई है, उस भूमि पर –

(क) किसी भवन या किसी अन्य संरचना का निर्माण करता है, या

(ख) किसी तालाब, कुंआ, जलाशय या बांध का निर्माण या उत्खनन करता है, या

(ग) किसी वृक्ष का रोपण करता है,

कलेक्टर, सक्षम पदाधिकारी के द्वारा आवेदित किए जाने पर एवं इसकी जांच कराए जाने पर यदि ठीक समझता हो तो ऐसे भवनों, संरचनाओं, जलाशयों, बांधों अथवा पेड़ों को हटा सकेगा या तालाबों को भर सकेगा तथा हटाये जाने अथवा भरे जाने की लागत राशि स्वामी या अधिभोगी से वसूल कर सकेगा ।

9. (1) जहां धारा 6 या धारा 7 की शक्तियों का प्रयोग करने में भूमि में हित रखने वाले किसी व्यक्ति को कोई नुकसान, हानि या क्षति हुई हैं, वहां राज्य सरकार या निगम ऐसे व्यक्ति को ऐसे नुकसान, हानि या क्षति के लिए प्रतिकर देने के दायी होंगे जिसकी रकम सक्षम प्राधिकारी द्वारा बाजार दर के आधार पर अवधारित की जाएगी ।

(2) यदि सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्धारित उपधारा (1) के अधीन प्रतिकर की राशि किसी पार्टी को मान्य नहीं हो तो वे भूमि या उसके अंश से संबंधित कलेक्टर को आवेदित कर सकेंगे एवं कलेक्टर द्वारा प्रतिकर का विनिश्चय कर दिया जाएगा ।

(3) ऐसे प्रतिकर का उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन अवधारणा करते समय सक्षम पदाधिकारी या कलेक्टर निम्नलिखित कारणों से होने वाले नुकसान या हानि को सम्यक् रूप से ध्यान में रखेगा-

(i) धारा 6 या जैसा कि मामला हो धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में भूमि पर से वृक्षों या खड़ी फसलों को हटाना, यदि कोई हों,

(ii) उस भूमि का, जिसके नीचे भूमिगत पाइप लाइन बिछाई गई है, ऐसे व्यक्ति की या उसके अधिभोग में की अन्य भूमियों से अस्थाई पृथक्करण; या

(iii) ऐसे व्यक्ति की किसी अन्य सम्पत्ति को चाहे वह चल हो या अचल या उपार्जन को किसी अन्य रीति में कारित कोई क्षति.

परन्तु कि धारा 3 की उपधारा (1) के तहत अधिसूचना की तिथि के पश्चात् उक्त भूमि पर निर्मित कोई संरचना या विकासन को क्षतिपूर्ति के निर्धारण हेतु विचार नहीं किया जाएगा।

(4) जहां किसी भूमि के उपयोग का अधिकार राज्य सरकार या निगम में निहित हो गया हो, वहां राज्य सरकार या निगम, यथास्थिति, उपधारा (1) के अधीन प्रतिकर के अतिरिक्त, यदि कोई है, भूस्वामी का किसी अन्य व्यक्ति को जिसकी भूमि किसी भी प्रकार से प्रभावित हुई है, को धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन घोषणा के प्रकाशन की तारीख पर उस भूमि के बाजार मूल्य के दस प्रतिशत पर संगणित प्रतिकर देने के दायी होंगे ।

(5) धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन घोषणा के प्रकाशन की तारीख पर, उस भूमि का बाजार दर, सक्षम पदाधिकारी के द्वारा आकलित होगा एवं उस प्राधिकार द्वारा निर्धारित यह दर यदि किसी को मान्य नहीं हो तो वे उपधारा (2) के संदर्भ में

कलेक्टर को आवेदित कर सकेंगे एवं यह दर कलेक्टर द्वारा विनिश्चय कर दिया जाएगा ।

(6) उपधारा (2) या (5) के अधीन कलेक्टर का विनिश्चय अंतिम होगा ।

10. (1) धारा 9 के अधीन अवधारित किए गए प्रतिकर की रकम यथास्थिति, राज्य सरकार अथवा निगम द्वारा, सक्षम प्राधिकारी के पक्ष में निर्धारित तिथि के भीतर और ऐसी रीति में जमा की जाएगी जैसी कि विहित की जाए ।

(2) यदि प्रतिकर की रकम उपधारा (1) के निर्धारित तिथि के भीतर जमा नहीं की जाती है तो यथास्थिति, राज्य सरकार अथवा निगम उस पर उस तारीख से जिसको कि प्रतिकर जमा किया जाना था, उसे वास्तविक रूप से जमा कराए जाने की तारीख से एक वर्ष के भीतर 9 प्रतिशत की दर से तथा एक वर्ष बीत जाने पर 15 प्रतिशत की दर से ब्याज देने के दायी होगे ।

(3) उपधारा (1) के अधीन प्रतिकर जमा किए जाने के पश्चात यथाशक्य शीघ्र, सक्षम प्राधिकारी, यथास्थिति, राज्य सरकार अथवा निगम की ओर से हकदार व्यक्तियों को प्रतिकर देगा ।

(4) यदि उपधारा (1) के अधीन जमा किए गए प्रतिकर में कई व्यक्तियों की दावेदारी होती हो तो सक्षम पदाधिकारी द्वारा उन व्यक्तियों का निर्धारण किया जायेगा जो उसकी नजर में प्रतिकर पाने के हकदार होंगे ।

(5) यदि प्रतिकर के प्रभाजन या अतिरिक्त प्रतिकर या उसके किसी भाग के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो सक्षम पदाधिकारी विवाद को उसकी अधिकारिता रखने वाले कलेक्टर को निर्दिष्ट करेगा और उस पर कलेक्टर का विनिश्चय अंतिम होगा ।

11. कलेक्टर अथवा सक्षम प्राधिकारी को इस अध्यादेश के प्रयोजन के लिए निम्नलिखित मामलों के संबंध मे, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय व्यवहार न्यायालय को प्राप्त समस्त शक्तिया होगी, अर्थात् –

(क) किसी व्यक्ति को समन करना और हाजिर होने को विवश करना ताकि शपथ पर उसका परीक्षण करना;

(ख) किसी दस्तावेज का प्रकटीकरण तथा उसे प्रस्तुत करने की अपेक्षा करना;

(ग) शपथ-पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख की अध्यपेक्षा करना,

(ड़) साक्षियों के परीक्षण के लिए कमीशन जारी करना.

12. (1) इस अध्यादेश या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या जारी की गई किसी अधिसूचना के अनुसरण में सदभावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयिक के लिए किसी बात के लिए किसी व्यक्ति के विरूद्ध कोई वाद, अभियोजना या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं होगी ।

(2) इस अध्यादेश या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमो या जारी की गई किसी अधिसूचना के अनुसरण में सदभावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी क्षति, हानि या नुकसान के लिए राज्य सरकार, निगम या सक्षम पदाधिकारी के विरूद्ध कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्रवाई नहीं होगी ।

13. इस अध्यादेश के अधीन किसी मामले में कलेक्टर अथवा सक्षम पदाधिकारी के विरूद्ध मामला में किसी भी व्यवहार न्यायलय का अधिकार क्षेत्र नहीं होगा तथा किसी न्यायालय अथवा कोई प्राधिकार इस अध्यादेश के आधार पर कृत कार्रवाई या प्रस्तावित कार्रवाई में कोई निषेधाज्ञा न कर सकेगा ।

14. (1) जो कोई किसी व्यक्ति को धारा 6 या धारा 7 के अधीन प्राधिकृत किन्हीं कार्यों को कार्यान्वित करने में स्वेच्छापूर्वक बाधा पहुंचाता है अथवा धारा 6 के अधीन निर्मित किसी खाई या चिन्ह को स्वेच्छापूर्वक भरता है, नष्ट करता है या नुकसान पहुंचाता है या स्थान से हटाता है या धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन निषिद्ध प्रावधानों के विरूद्ध कोई कार्य करता है, वह साधारण कारावास जो छह महीने की अवधि तक हो सकती है अथवा जुर्माना अथवा दोनों से दंडित होगा ।

(2) जो कोई भी स्वेच्छापूर्वक धारा 6 के अधीन बिछाई गई भूमिगत पाईप लाईन को हटाता है, नुकसान पहुंचाता है या नष्ट करता है, वह कम से कम एक वर्ष के कठोर कारावास जो तीन वर्ष तक बढाई जा सकती है एवं जुर्माना दोनों से दंडित होगा ।

15. दण्ड प्रक्रिया संहित 1973 में किसी भी बात के होते हुए भी धारा 14 की उपधारा (2) के तहत आने वाले अपराध उस संहिता के अर्थों के अधीन संज्ञेय माने जायेंगे।

16. (1) राज्य सरकार, इस अध्यादेश के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी ।

(2) विशेष रूप से एवं बिना किसी भेद-भाव के ये नियम निग्नवत् सभी मामलों अथवा किसी भी मामले में व्यवस्था देंगें –

(क) धारा – 3 की उपधारा (3) के तहत् अधिसूचना का सारांश, प्रकाशित किये जाने का स्थान एव रीति ।

(ख) धारा-10 की उपधारा (1) के अधीन जमा क्षतिपूरक राशि की समयावधि,

(3) इस धारा के अधीन बनाए गए समस्त नियम कम से कम एक माह की अवधि के लिए जो विधान के पटल पर रखे जाएंगे एवं ऐसे उपांतरणों या संशोधनों के अध्यधीन होंगे, जो विधानसभा द्वारा चालू सत्र में किए जाए या उसके ठीक बाद वाले सत्र में किऐ जाएँ,

(4) विधान सभा द्वारा किए गए ऐसे उपांतरण अथवा संशोधन राजपत्र में प्रकाशित होंगे. तत्पश्चात् वे प्रभावी होंगे ।

17. इस अध्यादेश के प्रावधान भूमि अर्जन के मामले में, प्रवृत्त अन्य कानूनों के अनुवृद्धि में होगे, अल्पीकरण में नहीं ।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

प्रवास कुमार सिंह,
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखंड, राँची ।

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

19 अप्रैल, 2018

संख्या-एल०जी०-07/2018-37/लेज०-- झारखंड सरकार का निम्नलिखित अध्यादेश और राज्यपाल द्वारा दिनांक 13 अप्रैल, 2018 को अनुमत **झारखण्ड जल, गैस और ड्रेनेज पाइप लाइन (भूमि में उपयोगकर्ता के अधिकारों का अर्जन) अध्यादेश, 2018** का निम्नांकित अंग्रेजी अनुवाद झारखंड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त अध्यादेश का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

JHARKHAND WATER, GAS AND DRAINAGE PIPELINES (ACQUISITION OF RIGHT OF USER IN LAND) ORDINANCE' 2018)

(Jharkhand Ordinance No. 4, 2018)

Preamble:

Since the Legislative Assembly of State of Jharkhand State is not in Session and, since the Governor of Jharkhand is satisfied that such circumstances exist, which render it necessary to take immediate action to promulgate the Jharkhand Water, Gas and Drainage Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Ordinance, 2018.

Now, therefore, in exercise of power conferred by Clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor of Jharkhand is pleased to promulgate the following Ordinance:-

1. **Short title, extent and commencement**.

(1) This ordinance may be called the Jharkhand Water, Gas and Drainage Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Ordinance, 2018.

(2) It extends to the whole of the State of Jharkhand.

(3) It shall come into force on such date as the State Government may by notification in the Official Gazette, appoint.

2. In this Ordinance, unless the context otherwise requires,

(a) "Competent authority" means any person or authority authorized by the State Government by notification in the Official Gazette, to perform the functions of the competent authority under this Ordinance;

(b) "Corporation" means any body corporate established under any Jharkhand Act and includes –

(i) A company formed and registered under the Companies Act, 2013; and

(ii) A company formed and registered under any law relating to companies formerly in force in any part of India;

(c) "Collector" means the Deputy Commissioner or any Deputy Collector of the district especially empowered by the State Government to perform all or any function of Collector under this Ordinance.

(d) "Prescribed" means prescribed by rules made under this Ordinance.

3. (1) Whenever it appears to State Government that it is necessary in thepublic interest that for the transport of water, gas or drainage from one place to another place, pipelines may be laid by the State Government, or, the corporation and that for the purpose of laying such pipelines, it is necessary to acquire the right of user (ROU) in any land under which such pipelines may be laid, it may, by notification in the Official Gazette, declare its intention to acquire the right of user therein.

(2) Every notification under sub-section (1) shall give a brief description of the land.

(3) The competent authority shall cause the substance of the notification to be published at such places and in such manner as may be prescribed.

4. (1) Any person interested in the land may, within thirty days from the date of the publication of notification under sub-section (1) of section 3, object to the laying of the pipelines under the land.

(2) Every objection shall be made to the competent authority in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard either in persons or by a legal practitioner and may, after hearing all such objections and after making such further inquiry, if any, as that authority thinks necessary, by order either allow or disallow the objections.

(3) Any order made by the competent authority under sub-section (2) shall be final.

5. (1) Where no objection under sub-section (1) of section 4 has been made to the competent authority within the period specified therein or where the competent authority has disallowed the objections under sub-section (2) of that section, that authority shall, as soon as may be, submit a report accordingly to the State Government and upon receipt of such report, the State Government shall declare, by notification in the Official Gazette, that the right of user in the land for laying the pipelines shall be acquired.

(2) On the publication of the declaration under sub-section (1), the right of user in the land shall vest absolutely in the State Government free from all encumbrances.

(3) Where in respect of any land, a notification has been issued under sub-section (1) of section 3, but no declaration under this section has been published within a period of one year from the date of that notification, that notification shall cease to have effect on the expiration of the said period.

(4) Notwithstanding anything contained in sub-section (2), the State Government may, on such terms and conditions as it may think fit, to impose, direct by order in writing that the right of user in the land for laying the pipelines shall, instead of vesting in the State Government, vest either on the date of publication of the declaration or, on such other date as may be specified in the order, in the Corporation, proposing to lay the pipelines and thereupon the right of such user in the land shall, subject to the terms and conditions so imposed, vest in that Corporation free from all encumbrances.

6. (1)(i) Where the right of user in any land has vested in the State Government or, as the case may be, the Corporation under section 5, it shall be lawful for any person authorized by the State Government or, as the case may be, the Corporation and its servants and workmen –

(a) to enter upon, survey and take levels of any land specified in the notification.

(b) to dig or bore into the sub-soil;

(c) to set out the intended line of work;

(d) to mark such levels, boundaries and line by placing marks and cutting trenches;

(e) where otherwise survey cannot be completed and levels taken and the boundaries and line marked, to cut down and clear away any part of any standing crops, fence or jungle; and

(f) to do all other acts necessary to ascertain whether pipelines can be laid under the land;

Provided that while exercising any power under this section, such person or any servant or workman of such person shall cause minimum damage or injury as possible to such land.

Provided further that no pipelines shall be laid under -

(a) any land which, immediately before the date of the publication of notification under sub-section (1) of section 3, was used for residence purposes; or

(b) any land on which there stands any permanent structure which was in existence immediately before the said date, or

(c) any land which is appurtenant to a dwelling house; or

(d) any land at a depth which is less than one metre from the surface; and

(ii) Such land shall be used only for laying the pipelines and for maintaining examining, repairing, altering or removing any such pipelines or for doing any other thing necessary for any of the aforesaid purposes or for the utilization of such pipelines.

(2) If any dispute arises with regard to any matter referred to in sub-clause (b) or (c) of the second proviso to clause (i) of sub-section (1), the dispute shall be referred to the competent authority whose decision thereon shall be final.

7. For maintaining, examining, repairing, altering or removing any pipeline, or for doing any other thing necessary for the utilization of the pipelines or for the making of any inspection or measurement for any of the aforesaid purposes, any person authorized in this behalf by the State-Government or, as the case may be, the Corporation may, after giving reasonable notice to the occupier of the land under which the pipelines has been laid, enter therein with such workmen and assistants as may be necessary.

Provided that, where such person in satisfied that an emergency exists, no such notice shall be necessary.

Provided further that, while exercising any powers under this section, such person or any workmen or assistants of such person, shall cause as little damage or injury as possible to such land.

8. (1) The owner or occupier of the land with respect to which a declaration has been made under sub-section (1) of section 5, shall be entitled to use the land for the purpose for which such land was put to use immediately before the date of the notification under sub section (1) of section 3.

Provided that such owner or occupier shall not after the declaration under sub section (1) of section 5 –

(i) construct any building or any other structure;

(ii) construct or excavate any tank, well, reservoir or dam; or

(iii) Plant any tree,

on that land.

(2) The owner or occupier of the land under which any pipeline has been laid shall not do any thing or permit any thing to be done which will or is likely to cause any damage in any manner whatsoever, to the pipeline.

(3) Where the owner or occupier of the land with respect to which a declaration has been made under sub-section (1) of section 5-

(a) constructs any building or any other structure, or
(b) constructs or excavates any well, tank, reservoir or dam, or
(c) Plants any tree,

on that land, the Collector within the local limits of whose jurisdiction such land is situated may, on an application made to it by the competent authority and after holding such inquiry, as it may deem fit, cause the building, structure, reservoir, dam or tree to be removed or the well or tank to be filled up, and the costs of such removal or filling up shall be recoverable from such owner or occupier.

9. (1) Where in the exercise of the power conferred by section 6 or 7 by any person, any damage, loss or injury is sustained by any person interested in the land under

which the pipeline is proposed to be, or is being, or has been laid, the State Government or, as the case may be, the Corporation shall be liable to pay compensation to such person for such damage, loss or injury, the amount of which shall be determined by the competent authority based on market value of the land.

(2) If the amount of compensation, determined by the competent authority under sub-section (1) is not acceptable to either of the parties, the amount of compensation shall, on application by either of the parties to the Collector within the limits of whose jurisdiction the land or any part thereof is situated, be determined by that Collector.

(3) The competent authority or, as the case may be the Collector while determining the compensation under sub-section (1) or, as the case may be sub-section (2) shall, have due regard to the damage or loss sustained by any person interested in the land by reason of –

(i) the removal of trees or standing crops, if any, on the land while exercising the powers under section 6 or as the case may be section 8;

(ii) the temporary severances of the land under which the pipeline has been laid from other lands belonging to or, in the occupation of such person, or

(iii) Any injury to any other property whether movable or immovable, or the earnings of such persons caused in any other manner.

Provided that in determining the compensation no account shall be taken of any structure or other improvement made in the land after the date of publication of the notification under sub-section (1) of section 3.

(4) Where the right of user of any land has vested in the State Government or, as the case may be, the Corporation it shall, in addition to the compensation, if any, payable under sub-section (1), be liable to pay to the owner and to any other person whose right of enjoyment in that land has been affected in any manner whatsoever by reason of such vesting, compensation calculated at ten percent, of the market value of that land on the date of the publication of the notification under sub-section (1) of section 3.

(5) The market value of the land on the said date shall be taken as in sub-section (1) of section 3 by the competent authority and if the value so determined by that authority is not acceptable either of the parties, it shall on application by either of the parties to the Collector, referred to sub-section (2) be determined by the Collector.

(6) The decision of the Collector under sub-section (2) or (5) shall be final.

10. (1) The amount of compensation determined under Section 9 shall be deposited by the State Government or, as the case may be the Corporation, with the competent authority within such time and in such manner as may be prescribed.

(2) If the amount of compensation is not deposited within the time prescribed under sub-section (1), the State Government or, as the case may be, the Corporation, shall be liable to pay interest there on at the rate of nine percent, if the amount of compensation is deposited within one year after the period prescribed under sub-section (1) and at the rate of fifteen percent, if the amount of compensation is deposited after the expiry of the said one year.

(3) As soon as may be after the compensation has been deposited under sub section (1), the competent authority shall, on behalf of the State Government or, as the case may be, the Corporation pay the compensation to the persons entitled there of.

(4) Where several persons claim to be interested in the amount of compensation deposited under sub-section (1), the competent authority shall determine the persons who in its opinion are entitled to receive the compensation and the amount payable to each of them.

(5) If any dispute arises as the apportionment of the compensation or any part thereof or as to the persons to whom the same or any part thereof is payable, the competent authority shall refer the dispute to the Collector within the limits of whose jurisdiction the land or any part thereof is situated and the decision of the Collector thereon shall be final.

11. The Collector and the competent authority shall have, for the purposes of this Ordinance, all the powers of a civil court while trying a suit under the Code of Civil Procedure, 1908 in respect of the following matters, namely :-

(a) summoning and enforcing the attendance of any person and examining him on oath;

(b) requiring the discovery and production of any document,

(c) reception of evidence on affidavits.

(d) requisitioning any public record from any court or office;

(e) issuing commission for examination of witness.

12. (1) No suit, prosecutions or other legal proceeding shall lie against any person for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this Ordinance or any rules or notification made or issued there under.

(2) No suit or other legal proceeding shall lie against the State Government, Corporation or, as the case may be, the competent authority for any damage, loss or injury caused or likely to be caused by anything which is in good faith done or intended to be done pursuance of this Ordinance or any rules or notification made or issued there under.

13. No civil court shall have jurisdiction in respect of any matter which the Collector or, as the case may be the competent authority is empowered by or under this Ordinance to determine and no injunction shall be granted by any court or other authority in respect of any action taken or proposed to be taken in pursuance of any power conferred by or under this Ordinance.

14. (1) Whoever willfully obstructs any person in doing any of the acts authorized under section 6 or as the case may be, section 7 or willfully fills up destroys, damages or displaces any trehch or mark made under section 6 or willfully does anything prohibited under the provision to sub-section (1) of section 8, shall be punishable with imprisonment which may extend to six months or fine or both.

(2) Whoever willfully removes, displaces, damages or destroys any pipeline laid under section 6, shall be punishable with rigorous imprisonment for a term which shall not be less than one year but which may extend to three years and shall also be liable to fine.

15. Not withstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure, 1973 an offence falling under sub-section (2) of section 14 shall be deemed to be cognizable within the meaning of that Code,

16. (1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the purposes of this Ordinance.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely :-

(a) the places at which and the manner in which the substance of the notification may be published under sub-section (3) of section 3;

(b) the time within which and the manner in which the amount of compensation shall be deposited under sub-section (1) of section 10,

(3) All rules made under this section shall be laid for not less than thirty days before the State legislature as soon as possible after they are made and shall be subject to rescission by the State Legislature or to such modifications as the State Legislature may make during the session in which they are so laid or the session immediately following.

(4) Any rescission or modification so made by the State Legislature shall be published in the Official Gazette, and shall thereupon take effect.

17. The provisions of this Ordinance shall be in addition to and not in derogation of any other law for the time being in force relating to the acquisition of land.

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

प्रवास कुमार सिंह,
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखंड, राँची ।

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 436 -- 50

सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

15 ज्येष्ठ, 1940 (श०)

संख्या- 551 राँची, मंगलवार 5 जून, 2018 (ई०)

जल संसाधन विभाग ।

अधिसूचना

1 जून, 2018

संख्या-1/पी.एम.सी./विविध/798/2017 (खण्ड-II)-485--झारखण्ड, जल, गैस, ड्रेनेज पाइप लाइन (भूमि में उपयोगकर्ता के अधिकारों का अर्जन) अध्यादेश, 2018 (झारखण्ड अध्यादेश-04, 2018) की धारा 16 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद् द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

झारखण्ड भूमिगत जल/गैस/ड्रेनेज पाइप लाइन (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) नियमावली, 2018

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ :- (1) झारखण्ड भूमिगत जल/गैस/ड्रेनेज पाइप लाइन (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) नियमावली, 2018 है।

(2) इनका विस्तार संपूर्ण झारखण्ड राज्य पर होगा।

(3) यह नियमावली अधिसूचना की तिथि से प्रभावी होगी।

2. परिभाषाएं :- इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:-

(क) "अध्यादेश" से अभिप्रेत है, झारखण्ड भूमिगत जल/गैस/ड्रेनेज पाइप लाइन (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अध्यादेश, 2018।

(ख) "सक्षम प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, अध्यादेश की धारा 3 के अधीन सक्षम प्राधिकारी के रूप में प्राधिकृत अधिकारी।

(ग) "प्रारूप" से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न प्रारूप।

(घ) उन शब्दों तथा अभिव्यक्तियों के, जो इसमें प्रयुक्त हुए हैं किन्तु परिभाषित नहीं किए गए हैं, वे ही अर्थ होंगे जो अध्यादेश में उनके लिए दिए गए है।

3. सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति - अध्यादेश के अधीन भूमिगत जल/गैस/ड्रेनेज पाइप लाइन हेतु निजी भूमि में उपयोग के अधिकार अर्जित करने हेतु विनिर्दिष्ट क्षेत्र के लिए "झारखण्ड भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013" के अन्तर्गत घोषित सक्षम प्राधिकार जो उप समाहर्ता से अन्यून स्तर का अधिकारी हो, सक्षम प्राधिकारी होगा।

4. आवेदन किया जाना - यथास्थिति, राज्य सरकार या निगम द्वारा भूमिगत पाइप लाइन हेतु निजी भूमि के उपयोग के अधिकार अर्जित करने के लिए आवेदन पत्र प्ररूप - "क" के सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा। आवेदन पत्र में संबंधित ग्रामों के नाम, भूमि-स्वामी/अधिभोगी का नाम तथा पिता/पति का नाम, खसरा क्रमांक, भूमि के उपयोग के अधिकार अर्जित करने हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल तथा अवधि जिसमें भूमिगत जल/गैस/ड्रेनेज पाइप लाइन का कार्य किया जाएगा, की जानकारी अंतर्विष्ट की जाएगी तथा नक्शा जिसमें क्षेत्र अंकित किए गए हों, भी संलग्न किए जाएंगे।

5. अधिसूचना का प्रकाशन तथा स्वामी को सूचना - (1) आवेदन प्राप्त होने के पश्चात् सक्षम प्राधिकारी, आवेदक से प्राथमिक रूप से अनुमानित प्रतिकर की अस्सी प्रतिशत राशि जमा करने की मांग करेगा।

(2) उपनियम (1) के अधीन मांगी गई राशि जमा कर दिए जाने के पश्चात् सक्षम प्राधिकारी अपने इस आशय की घोषणा, राजपत्र में, प्ररूप-ख में, अधिसूचना द्वारा करेगा कि भूमिगत जल/गैस/ड्रेनेज पाइप लाइन के लिए जनहित में, भूमि में उपयोग के अधिकार अर्जित किया जाना आवश्यक है। यह अधिसूचना, राजपत्र में प्रकाशित करने के साथ-साथ निम्नांकित स्थानों पर भी चस्पा कराई जाएगी:-

(क) कलक्टर कार्यालय के सूचना पटल पर,

(ख) सक्षम प्राधिकारी के कार्यालय के सूचना पटल पर,

(ग) उस क्षेत्र में परिचालित होने वाले दैनिक समाचार-पत्रों में, जिनमें से एक हिन्दी में होगा।

(3) सक्षम प्राधिकारी, भूमिस्वामी/अधिभोगी को निजी भूमि में उपयोग के अधिकार अर्जित करने के संबंध में सूचना देगा। "प्ररूप - ग" में दी जाने वाली सूचना :-

(क) भूमिस्वामी/अधिभोगी को व्यक्तिगत रूप से, अथवा,

(ख) भूमिस्वामी/अधिभोगी के परिवार के किसी वयस्क व्यक्ति को, अथवा

(ग) भूमिस्वामी/अधिभोगी को रजिस्टर्ड डाक से, तथा

(घ) भूमिस्वामी/अधिभोगी के निवास में अथवा उसके अंतिम ज्ञात निवास स्थान पर चिपका करके, दी जा सकेगी,

6. **सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषणा का प्रकाशन -** धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन प्रकाशित घोषणा में विहित कालावधि के भीतर प्राप्त आपत्तियों के निपटारे के पश्चात्, सक्षम प्राधिकारी, धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन राजपत्र मे, अधिसूचना द्वारा, घोषणा 'प्ररूप-घ' में प्रकाशित कराएगा। धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन घोषणा के प्रकाशन की तारीख से उसमें उल्लिखित भूमि के उपयोग के अधिकार समस्त विल्लंगमों से मुक्त राज्य सरकार में निहित हो जाएंगे।

7. **प्रतिकर का निर्धारण -** (1) धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन घोषणा प्रकाशित होने के पश्चात्, सक्षम प्राधिकारी भूमिगत जल/गैस/ड्रेनेज पाइप लाइन की अवधि के लिए उसमें उल्लिखित भूमि से होने वाली फसल से आय की क्षति, वृक्षों का प्रतिकर एवं अन्य हानि का विनिश्चत निम्नलिखित रीति में करेगा:-

(क) किसी असिंचित भूमि को एक फसली तथा सिंचित भूमि को दो फसली माना जाएगा, यदि भूमि में विगत भूमि तीन वर्षो में कोई फसल नहीं ली गई हो तो उस भूमि को ''परती भूमि' ' माना जाएगा तथा ऐसी भूमि के लिए फसल से आय की क्षति की गणना नहीं की जाएगी। फसल से आय की क्षति की गणना निम्नानुसार की जाएगी:-

फसल से आय की गणना = फसल की प्रमाणिक पैदावार x फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य x 2

(ख) वृक्षों का प्रतिकर वन विभाग/उद्यानिकी विभाग के मत पर संगणित किया जाएगा,

(2) उपनियम (1) के अधीन यथानिर्दिष्ट प्रतिकर के अतिरिक्त, यदि कोई हो, धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन घोषणा के प्रकाशन के दिनांक को उस भूमि के बाजार मूल्य के दस प्रतिशत की दर से देय होगा। भूमि का बाजार मूल्य भू-अर्जन अधिनियम 2013, जिसका उल्लेख यहाँ नियम 3 में किया गया है, में वर्णित प्रक्रिया एवं निदेश का पालन करते हुए निर्धारित किया जायेगा।

8. प्रतिकर की राशि की संगणना - (1) राज्य सरकार या निगम, प्रतिकर की ऐसी राशि को मुजरा करने के पश्चात्, जो कि नियम 5 के उपनियम (1) के अनुसार पूर्व में ही जमा कर दी गई है, नियम 7 के अधीन निर्धारित प्रतिकर की राशि, सक्षम प्राधिकारी को धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन घोषणा की तारीख से तीस दिन की कालावधि के भीतर चेक द्वारा जमा करेंगे।

(2) यदि प्रतिकर की राशि तीस दिन के भीतर जमा नहीं की जाती है तो यथास्थिति, राज्य सरकार या निगम उस पर, उस तारीख से, जिसको कि प्रतिकर जमा किया जाना था, उसे वास्तविक रूप से जमा करने की तारीख तक, नौ प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज के भुगतान का दायी होगा तथा एक वर्ष बीत जाने पर 15 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज देने के दायी होंगे।

9. अधिकार के अर्जन पर कब्जा हटाना - सक्षम प्राधिकारी, धारा 10 की उपधारा (3) के अधीन भूमिस्वामी/अधिभोगी को प्रतिकर का भुगतान करते समय भूमिगत जल/गैस/ड्रेनेज पाइप लाइन हेतु विनिर्दिष्ट कालावधि के लिए भूमि के उपयोग का अधिकार अर्जित करने के लिए 'प्ररूप-च' में भूमिस्वामी/अधिभोगी से प्रमाण पत्र प्राप्त करेगा।

10. कब्जे का वापस दिलाया जाना - यथास्थिति राज्य सरकार या निगम द्वारा भूमिगत जल/गैस/ड्रेनेज पाइप लाइन के कार्य समाप्ति पश्चात् भूमि समतल की जाएगी और अपने मूल रूप में लाई जाएगी तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा भूमिस्वामी/अधिभोगी को भूमि का कब्जा वापस दिया जाएगा। इस संबंध में, भूमिस्वामी/अधिभोगी से सक्षम प्राधिकारी द्वारा कब्जा वापसी प्रमाण-पत्र 'प्ररूप-छ' में लिया जाएगा।

11. निरीक्षण आदि हेतु प्रवेश का अधिकार - (1) भूमिस्वामी/अधिभोगी को भूमि का कब्जा वापस देने के पश्चात्, भूमिगत जल/गैस/ड्रेनेज पाइप लाइन निगम एवं निगम द्वारा अधिकृत व्यक्तियों का भूमिगत जल/गैस/ड्रेनेज पाइप लाइन के निरीक्षण, संधारण, सुधार उन्हें बदलने या हटाने के लिये जब आवश्यकता हो, भूमि में प्रवेश करने एवं कार्य करने की शक्ति होगी।

(2) यदि भूमिस्वामी/अधिभोगी किसी प्रारूप, जिसमें उसके हस्ताक्षर की आवश्यकता है, में हस्ताक्षर करने से मना करता है, तो उस प्रारूप पर उसके स्थान पर सक्षम प्राधिकार द्वारा हस्ताक्षर किया जायेगा बशर्ते कि संगत नियमों का पालन किया गया हो।

12. अधियाचक द्वारा उपयोग के अधिकारों के अर्जन की लागत:- (1) अधियाचक द्वारा अधिकारों के अर्जन में स्थापना व्यय एवं आकस्मिक व्यय नियम 7 में आकलित कुल मुआवजे का 5 प्रतिशत होगा।

(2) नियम 12 (1) में आकलित स्थापना व्यय एवं आकस्मिक व्यय की राशि बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से अधियाचक द्वारा समाहर्ता के पास जमा की जायेगी। समाहर्ता इस राशि को जिला कोषागार के डिपोजित खाता में अथवा किसी सरकारी बैंक खाता, जो इस हेतु सक्षम प्राधिकार एवं उपायुक्त द्वारा संयुक्त रूप से परिचालित हो, में जमा करेंगे।

13. अनुदेश जारी किया जाना - राज्य सरकार के समय-समय पर, बनाए गए अध्यादेश/अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के क्रियान्वयन के संबंध में किन्हीं कठिनाईयों के निराकरण के लिए अनुदेश जारी कर सकेगी।

प्ररूप-क

(नियम-4 देखिए)

प्रति,

सक्षम प्राधिकारी

.....

.....

विषयः- अध्यादेश के अधीन निजी भूमि में उपयोग के अधिकारों के अर्जन के लिए आवेदन पत्र।

..... परियोजना के लिए अंचल ..... जिला ..... से अंचल..... जिला ..... तक परिवहन हेतु भूमिगत जल/गैस/ड्रेनेज पाइप लाइन का प्रस्ताव है। उक्त परियोजना के लिए भूमि का विवरण तथा भूमिगत जल/गैस/ड्रेनेज पाइप लाइन के लिए प्रस्ताव भूमि अर्जित करने हेतु नक्सा इसके साथ संलग्न है।

अतएव अध्यादेश के अधीन निजी भूमि में उपयोक्ता के अधिकारों के अर्जन के लिए की जाने वाली कार्रवाई संलग्न ब्यौरों में वर्णित है -

संलग्न - ब्यौरे

आवेदन

ब्यौरे

अनु. क्रमांक	ग्राम का नाम/ हल्का क्रमांक	भूमिस्वामी / अधिभोगी का नाम	खसरा क्रमांक	कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)	भूमिगत जल/गैस/ड्रेनेज पाइप लाइन के लिए उपयोक्ता के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6

प्ररूप-ख

(नियम-5 का उपनियम (2) देखिए)

क्रमांक ....., अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि ..... परिवहन हेतु ग्राम ..... अंचल ..... जिला से ..... अंचल ..... जिला तक झारखण्ड राज्य में मेसर्स ..... द्वारा भूमिगत जल/गैस/ड्रेनेज पाइप लाइन बिछाई जाए।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत जल/गैस/ड्रेनेज पाइप लाइन के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत जल/गैस/ड्रेनेज पाइप लाइन का

प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव, झारखण्ड भूमिगत जल/गैस/ड्रेनेज पाइप लाइन (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अध्यादेश, 2018 की धारा 2 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अध्यादेश की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे झारखण्ड भूमिगत जल/गैस/ड्रेनेज पाइप लाइन बिछाने जाने के संबंध में झारखण्ड सरकार द्वारा नियुक्त सक्षम प्राधिकारी को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा।

अनुसूची

जिला	अंचल	ग्राम/हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5

सक्षम प्राधिकारी,

<u>प्ररूप-ग</u>

(नियम-5 का (3) देखिए)

झारखण्ड भूमिगत जल/गैस/ड्रेनेज पाइप लाइन (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अध्यादेश, 2018 (झारखण्ड अध्यादेश सं.-04, 2018) की धारा 3 की धारा (1) के अन्तर्गत ..... परियोजना हेतु भूमिगत जल/गैस/ड्रेनेज पाइप लाइन के लिए आपके स्वामित्व/अधिभोगी की निम्नलिखित भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन करने संबंधी राज्य सरकार के आशय की घोषणा अधिसूचना ..... दिनांक ..... राजपत्र में प्रकाशित की गई है।

जिला	अंचल	ग्राम/हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5

अतएव अध्यादेश के अधीन बनाए गए नियम 5 (2) के अधीन एतद् द्वारा आपको सूचना दी जाती है कि राज्य सरकार/निगम द्वारा आपके स्वामित्व/अधिभोग की भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाना प्रस्तावित है।

सक्षम प्राधिकारी,

दिनांक- .....

स्थान- .....

प्ररूप-घ

(नियम-6 देखिए)

झारखण्ड भूमिगत जल/गैस/ड्रेनेज पाइप लाइन (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अध्यादेश, 2018 (झारखण्ड अध्यादेश सं॰-04, 2018) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अध्यादेश के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक ..... दिनांक ..... द्वारा, राज्य सरकार ने परियोजना के लिए से ..... ग्राम ..... अंचल ..... जिला ..... से ग्राम ..... अंचल ..... जिला ..... के लिए परिवहन हेतु भूमिगत जल/गैस/ड्रेनेज पाइप लाइन के प्रायोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक ..... को प्रकाशित की गई तथा कलक्टर/ सक्षम प्राधिकारी नोटिस बोर्ड पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है।

अतएव, उक्त अध्यादेश की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा भूमिगत जल/गैस/ड्रेनेज पाइप लाइन के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार/निगम में निहित होगा।

जिला	अंचल	ग्राम/हल्का क्रमांक	खसरा क्रमांक	उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5

सक्षम प्राधिकारी,

दिनांक-.....

स्थान-.....

प्ररूप-च

(नियम-9 देखिए)

कब्जा प्रमाण पत्र

झारखण्ड भूमिगत जल/गैस/ड्रेनेज पाइप लाइन (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अध्यादेश, 2018 की धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन जारी घोषणा दिनांक ..... के अनुसार ..... परियोजना हेतु भूमिगत जल/गैस/ड्रेनेज पाइप लाइन के लिए स्वामित्व/अधिभोग की निम्नलिखित भूमि ..... के द्वारा उपयोग में लाई जाएगी।

अनु॰ क्रमांक	ग्राम का नाम/ हल्का क्रमांक	भूमिस्वामी/अधिभोगी का नाम	खसरा क्रमांक	भूमिगत जल/गैस/ड्रेनेज पाइप लाइन के लिए उपयोक्ता के अधिकार के लिये अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5

2. अध्यादेश की धारा 9 के अधीन फसल आय की क्षति, पेड़ों एवं अन्य क्षति का मुआवजा अवधारित किया गया है।

मद	प्रतिकर का प्रकार					
अनु॰ क्रमांक	फसल आय की क्षति का प्रतिकर	पेड़ों का मुआवजा	अन्य आस्तियों की क्षति का प्रतिकर	भूमि का अतिरिक्त प्रतिकर	प्रतिकर की कुल देय राशि	प्रतिकर प्राप्ति का दिनांक
1	2	3	4	5	6	7

3. भूमि में उपयोक्ता के अधिकार अर्जित किए जाने के संबंध में दिनांक ..... को प्रतिकर एवं अतिरिक्त प्रतिकर भुगतान किए जाने पर उपरोक्त उल्लिखित भूमि की उपयोगता के अधिकार आज दिनांक ..... से ..... तक उपयोग में जाएंगे। भूमिगत जल/गैस/ड्रेनेज पाइप लाइन का कार्य विनिर्दिष्ट अवधि में पूर्ण नहीं होने पर कार्य अवधि में वृद्धि की जा सकेगी।

सक्षम प्राधिकारी,

भू-स्वामी/अधिभोगी के हस्ताक्षर

दो गवाहों के हस्ताक्षर

(1) ..... नाम एवं पता

(1) ..... नाम एवं पता

प्ररूप-छ

(नियम- 10 देखिए)

कब्जा वापसी प्रमाण पत्र

1. झारखण्ड भूमिगत जल/गैस/ड्रेनेज पाइप लाइन (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अध्यादेश, 2018 (झारखण्ड अध्यादेश सं॰-04, 2018) धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन जारी घोषणा दिनांक ..... के अनुसार ..... परियोजना हेतु भूमिगत जल/गैस/ड्रेनेज पाइप लाइन के लिए आपके स्वामित्व/अधिभोग की निम्नलिखित भूमि दिनांक ..... से ..... तक अर्जित की गई है।

अनु क्रमांक	ग्राम का नाम/हल्का क्रमांक	भूमिस्वामी/अधिभोगी का नाम	खसरा क्रमांक	भूमिगत जल/गैस/ड्रेनेज पाइप लाइन के लिए उपयोक्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5

2. अध्यादेश की धारा 7 के अधीन उक्त भूमि में उपयोक्ता के अधिकार अर्जन हेतु सम्पूर्ण मुआवजा भुगतान कर दिया गया है। इस विषय में कोई भी देय राशि शेष नहीं है।
3. उक्त समतलीकृत भूमि का कब्जा आज दिनांक ..... को आपको हस्तांतरित किया गया है।

सक्षम प्राधिकारी

भू-स्वामी/अधिभोगी के हस्ताक्षर
दो गवाहों के हस्ताक्षर
(1) ..... नाम एवं पता
(2) ..... नाम एवं पता

झारखंड राज्यपाल के आदेश से

डी.के.तिवारी,
सरकार के अपर मुख्य सचिव ।

उपरोक्त अधिसूचना का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद झारखण्ड राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जायगा ।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से

डी.के.तिवारी,
सरकार के अपर मुख्य सचिव ।

Water Resources Department

Notification

1st June,2018

No-1/PMC/Vividh/798 /2017 (Part-II)-485 --In exercise of power conferred by Sub Section (1) of Section-16 of Jharkhand Water, Gas and Drainage Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Ordinance '2018. (Jharkhand Ordinance No-4, 2018), the Government of Jharkhand hereby makes the following Rules :-

Jharkhand Water, Gas and Drainage Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Rules, 2018

1. Short title, extent and commencement.-

(1) These rules may be called the Jharkhand Water, Gas and Drainage Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Rules, 2018.

(2) They extend to the whole of Jharkhand.

(3) These rules come into force from the date of notification.

2. Definitions.- In these rules, unless the context other wise requires;

(a) "Ordinance" means the Jharkhand Water, Gas and Drainage Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Ordinance, 2018 (Jharkhand Ordinance No.4, 2018)

(b) "Competent Authority" means the officer authorized as Competent Authority under rule 3.

(c) "Form" means form appended to these rules;

(d) The words and expressions used but not defined in these rules shall have the same meaning assigned to them in the Ordinance and the General Clauses Act.

3. Competent authority under the Act :- For the acquisition of right of user in private land to lay the Water, Gas or Drainage Pipelines under the Ordinance any officer, not below the rank of Deputy Collector, who has been notified as the competent authority for the specified area under "The Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act 2013" by State Government, shall be the competent authority for this purpose.

4. Filing of Application.- The application for the acquisition of right of user to lay the Water, Gas or Drainage Pipelines in Form A shall be submitted to the competent authority by the State Government or the Corporation, as the case may be. The application shall contain the information of the names of concerned villages, land owner/ occupier of the land and name of father / husband, Khasra number and area proposed for acquisition of right of user and the period for the laying of Water, Gas or Drainage Pipelines and shall also contain the area marked on the map.

5. Publication of notification and notice to the owner.-

(1) After the receipt of application, the competent authority shall ask the applicant to deposit eighty percent amount of preliminary estimated compensation.

(2) After payment of such amount as demanded under sub-rule (1), the competent authority shall declare his intention by notification in the official gazette in Form B that in the public interest the acquisition of right of user is necessary to lay the Water, Gas or Drainage Pipelines. This notification shall be published and affixed in the following places as well as in the official Gazette:-

(a) on the notice board of the office of the Collector;

(b) on the notice board of the office of the Competent Authority;

(c) in the daily news papers circulated in that locality from which one shall be in Hindi.

(3) The Competent Authority shall serve the notice to the landowner / occupier regarding the acquisition of right of user in private land. The notice in Form-C may be served :-

(a) in person to the land owner/ occupier; or

(b) in person to any adult person of family of land owner/ occupier; or

(c) by registered post to land owner / occupier; and

(d) by pasting notice on the house or his last known residence of the land owner/ occupier.

6. Publication of declaration by competent authority.- After the disposal of objections received within the prescribed period of the publication under sub—section (1) of section 4, the Competent Authority shall publish the declaration in Form ‘D’ by notification in official Gazette under sub-section (1) of section 5. The right of user in the land mentioned therein shall be vested in the State

Government / Corporation free from all the encumbrances from the date of publication of the declaration under sub-section (1) of section 5.

7. Assessment of Compensation.- (1) After the publication of declaration under sub—section (1) of section 5, the competent authority shall decide the loss of crop income, compensation of trees and other losses from the land mentioned therein for the period of laying of Water, Gas or Drainage Pipelines in the following manner :-

(a) Any unirrigated land shall be considered as single cropped and irrigated land shall be considered as double cropped. If no crops are taken in last three years, the land shall be deemed as "fallow land" and the loss of crop income shall not be calculated for such land. In other cases, the loss of crop income shall be calculated as follows :-

Calculation of Crop Income	=	Standard Outcome of Crop	X	Minimum Support price of crop	X	2

(b) The compensation of trees shall be calculated based on the opinion of Forest/Horticulture Department.

(2) In addition to the compensation as referred under rule (1), if any, the compensation shall be payable at the rate of Ten Percent of the value of that land on the date of publication of the declaration under sub-section (1) of section 5. The value of the land shall be determined following the same procedures and guidelines, as are followed while acquiring the land under the Act of 2013, mentioned in rule 3.

8**. Computation of compensation amount.** (1) The State Government or the Corporation shall, after setting off the amount which has been already deposited in accordance with sub-rule (1) of rule 5, deposit the compensation amount determined under Rule 7 to the Competent Authority by cheque within the period of thirty days from the date of declaration under sub-section (1) of section 5.

(2) If the amount of compensation is not deposited within thirty days, the State Government or the Corporation, as the case may be, shall be liable to pay interest thereon at the rate of nine percent per annum from the date on which the compensation had to be deposited till the date of the actual deposit: and at the rate of 15 percent per annum after lapse of one year.

9. Taking of possession on acquisition of right.- The Competent Authority shall obtain the possession certificate in Form 'E‘ for acquisition of right of user to lay Water, Gas or Drainage Pipeline for the specified period from the land owner/ occupier at the time of

payment of compensation to the land owner / occupier under sub-section (3) of section 10 of the ordinance.

10. Restoration of possession.- After laying the Water, Gas or Drainage Pipelines, the land shall be levelled and restored as good as before, by the State Government, or the Corporation, as the case may be, and the possession of land shall be handed over by the Competent Authority. In this regard, the Competent Authority shall restore the possession handing over certificate in Form 'F' to the landowner / occupier.

11. Right of entering for inspection etc.- (1) After handing over the possession of land to the land owner / occupier, the Corporation who laid the Water, Gas or Drainage Pipelines the persons authorized by the Corporation shall have the power to enter in the land and do the work as found necessary for inspection, maintenance, repair, replacement or removal of the Water, Gas or Drainage Pipelines.

(2) If the land owner or occupier refuses to sign any form, which he or she is required to sign under these rules, the same shall be signed by the Completent Authority, provided the procedure under these rules has been followed.

12. **Cost of acquisition of right of user by requisitioning body**

(1) The establishment charge and contingency cost for the right of user by requisitioning body / corporation shall be 5 percent of the total value of compensation assessed under rule 7.

(2) The requisitioning body / corporation shall deposit the establishment charge and the contingency cost, as calculated under rule 12 (1) by way of bank draft to the Collector and the Collector shall deposit the cost of user land in the Deposit account in the district treasury or in a scheduled bank account maintained separately for this purpose to be jointly operated by Competent Authority and Deputy Commissioner.

13. Issue of instructions.- The State Government may issue instructions for removal of any difficulties regarding implementation of the provisions of the Act / Ordinace and the Rules framed thereunder from time to time.

Form –A

(sec rule 4)

To,

The Competent Authority,

. . . . . .

. . . . . .

Subject: Application for Acquisition of Right of User in Private land under Jharkhand Water, Gas and Drainage Pipelines Ordinance 2018.

There is proposal to lay Water, Gas or Drainage Pipelines from .....Anchal..... District to .....Anchal.....District for transportation of .....for .....Project. The land details and map of proposed land for acquisition to lay Water, Gas or Drainage Pipelines for the said project is enclosed herewith.

Therefore, an action to be taken for acquisition of right of user in private land described in the enclosed details.

Enclosure: - Details

Applicant

Details

S.No	Name of Village / Circle No.	Name of Land owner / Occupier	Khasra No.	Total area (in hectare)	Land Required for Right of User for laying Water, Gas or Drainage Pipelines (in hectare)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Form-B

[Sce sub-rule (2) of rule 5]

Whereas, it appears to the State government that it is necessary in the public interest that for the transportation of .....from village Anchal, ...District to ..... Anchal, ...District in Jharkhand State, Water, Gas or Drainage Pipelines should be laid by the M/s .....

And whereas, it appears to the State Government that for the purpose of laying the said Water, Gas or Drainage Pipelines, it is necessary to acquire the Right of User in the land under which the said Water, Gas or Drainage Pipelines is proposed to be laid which is described in the Schedule annexed to this notification.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub—section(1) of section 3 of the Jharkhand Water, Gas and Drainage Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Ordinance, 2018 (Jharkhand Ordinance No.04, 2018), the State Government, hereby, declare its intention to acquire the right of user therein.

Any person interested in the land described in the said Schedule may within twenty one days from the date of the publication of notification in the official Gazette under sub-section (1) of section 3 of the Ordinance, object in writing to the laying of Water, Gas or Drainage Pipelines to the Competent Authority appointed by Government of Jharkhand

SCHEDULE

District	Anchal	Village/ Circle No.	Khasra No.	Land to be acquitted for Right of User (in hectare)

Competent Authority

Form—C

[see rule 5 (3)]

A Notification No ..... dated .....has been published in the Gazette regarding declaration of the intention of the State Government to acquire the right of user in the following land of your ownership / occupancy to lay Water, Gas or Drainage Pipelines for the.....project under sub—section (1) of section 3 of the Jharkhand Water, Gas and Drainage Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Ordinance, 2018 (Jharkhand Ordinance No-04, 2018).

District	Anchal	Village / Circle No.	Khasra No.	Land to be acquitted for Right of User (in hectare)

Therefore, you are hereby informed under rule 5(2) framed under the Ordinance, that it is proposed to acquire the right of user in the land of your ownership / occupancy, by the State Government / Corporation.

Date ..... Competent Authority

Place .....

Form—D

(see rule 6)

Whereas by notification of the Competent AuthorityNo .....Date .....issued under sub—scction (1) of section 3 of the Jharkhand Water, Gas and Drainage Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Ordinance, 2018 (Jharkhand Ordinance No-04, 2018) (hereinafter referred to as the said Act) the State Government declared its intention to acquire the right of user in the land specified in the Schedule appended to the notification for the purpose of laying the Water, Gas or Drainage Pipelines for transportation of .....from village ..... Anchal ..... District to..... .....vi1lage..... Anchal,.....District for …… Project by .....

And that notification published in the official Gazette on .....and pasted on the notice board of the office of the Collector / Competent Authority, and the same has also been served to the land owner/ occupier.

And whereas in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Ordinance, the right of user in the land for laying the pipeline shall vest in the State Government / Corporation free from all encumbrances.

SCHEDULE

District	Anchal	Village / Circle No.	Khasra No.	Land to be acquitted for Right of User (in hectare)

Competent Authority

Form - E

(see rule 9)

Possession Certificate

1. As per declaration dated ....issued under sub-section (1) of section 5 of the Jharkhand Water, Gas and Drainage Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Ordinance, 2018 (Jharkhand Ordinance No-04, 2018) the following land of your ownership / occupancy shall be used by .....for the laying of Water, Gas or Drainage Pipelines for .....project.

S.No	Village/ Circle No.	Name of Land owner/occupier	Khasra No.	Land to be acquitted for Right of User (in hectare)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

2. The compensation determined for the loss of income of crops, trees and other losses under section 9 of the Ordinance are as below :-

S.No.	Type of compensation				Total Payable amount of compensation	Date of Receipt of compensation.
	Compensation of Loss income of crops	Compensation of Trees	Compensation of loss of other assets if any	Additional Compensation of land		

3. The Right of User in land shall be utilized from today dated ..... upto .....for which the payment of compensation and additional compensation has been paid to you on dated .....for acquisition of right of user in above mentioned land. If the work of laying Water, Gas or Drainage Pipelines is not be completed in the specified period, the working period can be extended.

Signature of land owner / occupier Competent Authority

Signatures of two witnesses.

1 .....Name & address

2 .....Name & address

Form-F

(see rule 10)

Possession Return Cetrificate.

1. As per declaration dated ..... issued under sub—section (1) of section 5 of the Jharkhand Water, Gas and Drainage Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Ordinance, 2018 (Jharkhand Ordinance No-04, 2018), the following land of your ownership/ occupancy has been acquired from the date.....to dated.....for the laying of Jharkhand Water, Gas or Drainage Pipelines for ..... project.

S.No	Name of Village / Anchal	Name of Land owner/occupier	Khasra No.	Land to be acquitted for Right of User (in hectare)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

2. Under section 7 of the Ordinance, the total compensation payment has been paid for acquisition of right of User in the above land. There is not any balance of payable amount in this regard.

3. The possession of above levelled land is handed over to you today dated .....

Signature of land owner / occupier Competent Authority

Signatures of two witnesses.

1 ..... Name& Address

2 ..... Name& Address

By order of the Governor of Jharkhand,

D.K. Tiwari,
Additional Chief Secretary to Government.

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 551 -- 50